

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं० 342-2027 S.R. HOME MAKE P. आवेदक सं० 342-2023

चूंकि श्री. Raveer Kumar Adv. ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित PVT LTD

संपत्ति के सम्बन्ध निबन्धित संव्यवहारों अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।) Chitra Choudhary

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वर्षी 11 में और उससे अनुक्रमणियों 11 में ता० 01/11/2021 से ता० 10/03/2023 तक तलाश की गयी और ऐसा तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है।

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज के प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादन	दावेदारी	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Moyza Choudhary Thana 30			43	From	En		
	1 Chanda 12 New Plot			400, 401, 451			419	
	Plot 2 195 New Plot			398				
	Plot 2 192 New Plot			6.50 =	66.16			200
	Adv 59.66							


Signature  
वैकरी  
11/3/23

- (क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
- (ख) 1) बंधक पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान अवधि दर्ज करें बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।  
2) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

(2)


में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सदव्यवहार और अवधारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्तियों ने प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) Clerk


तलासी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- Clerk

कार्यालय :- जिला अवर निबंधक (बोकासरी)



  
निबंधक पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
11/3/13

तारीख :- 11/03/13

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र के सदव्यवहार और अवधारों दिखाने गये है वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्ता वेजों में दिया गया हो तो वैसी दस्तावेजों सदव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निबन्धन अधिनियम को 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

[क] किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में उपेक्षित तलासी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलासी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

[ख] ✓ और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक की अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूंकि उनके द्वारा दुंढे गये सदव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दुंढे गये ऐसे सदव्यवहारों और अवधारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त सम्पत्ति पर पड़ता हो।